

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

29/1/21

अधिवक्ता मपीलांग ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा पूरे सारे मपीलांग की अग्रपंक्ति में निर्णय पारित किया गया। मपीलांग को मपीलांग के मपीलांग लक्ष्योत्पत्त हेतु मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः मपीलांग की मपील स्वीकार को छोड़ जावे।

अधिवक्ता रेखा ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा रेखा ने वाद समप्त जारी होने को तामील बड़ा जाए हुए बावजूद

मुपगत जावबूजगर न्यायालय में समस्त ज. नहीं हुए। मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मन्दीनस्य न्यायालय द्वारा मपीलांग को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।



राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त. अहकाम जो हुकम की तासी जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

25/06/21

मस. अपीलोरगण की अपील मय  
 अर्थात् खारीय फरमाई पावे।  
 मधिराज उग्रपक्ष की कदम युक्त एवं  
 पत्रावली का ह्यानपूर्वक मसलोकन मय  
 पर न्यायालय का निर्णय हो कि  
 मधीनल्य न्यायालय द्वारा मूल दावा  
 में दिनांक 27/06/2017 को उग्रपक्ष की  
 समुपस्थिति में क्लेम कोर्ट में निर्णय  
 पारित किया गया। मधीनल्य न्यायालय  
 द्वारा अपीलोरगण को सुनवाई का  
 समुचित अवसर नहीं दिया गया।  
 मधीनल्य न्यायालय द्वारा अपीलार्थी  
 मादेय बिबि द्वारा स्थापित उक्ति का  
 मान्य बिबि बिना पारित किया गया जो  
 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ हो।  
 उपरोक्त विवेचन एवं तर्कों के मातेक  
 में अपील स्वीकार की जाती है तथा  
 मधीनल्य न्यायालय समस्त कलक्टर  
 सिवान द्वारा पारित मादेय दिनांक 27/11/19  
 एवं निर्णय दिनांक 12.06.2017, 27/06/2017  
 को खारीय किया जाकर उग्रपक्ष मधीनल्य  
 न्यायालय के समक्ष दाय निर्देश के साथ  
 उपस्थित किया जाय कि अपीलोरगण  
 को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए  
 कि समस्त गुणावगुण पर निर्णय पारित  
 कर। पत्रावली केवल सुमार नोट के  
 बंद हो निर्णय की प्रति मधीनल्य न्यायालय  
 को पालनार्थ मिलवाई पावे।



[Signature]  
 जज  
 न्यायालय